

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

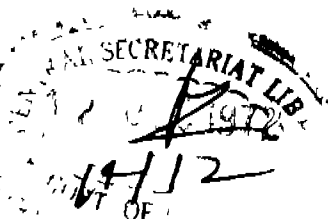
असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 234]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अश्विन 19, 1972/आश्विन 27, 1894

No 234]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1972/ASVINA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION**

(Department of Labour and Employment)

**RESOLUTION**

*New Delhi, the 19th October 1972*

**No. S-33025/23/72-WB.**—The Government of India by their Resolution No. U-23018/1/72-WB, dated the 28th April, 1972, constituted the Bonus Review Committee to review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965. The composition of the Committee is as follows:—

*Chairman*

Dr. B. K. Madan.

*Members*

1. Shri N. S. Bhat.
2. Shri Harish Mahindra.
3. Shri R. P. Billimoria.
4. Shri G. Ramanujam.
5. Shri Satish Loomba.
6. Shri Mahesh Desai.
7. Dr S. D. Punekar.

2. The Committee have submitted their interim findings on the terms of reference relating to the raising of the minimum bonus payable under the Act. The findings are contained in two separate reports one signed by the Chairman, Dr. S. D. Punekar, Shri N. S. Bhat and Shri Harish Mahendra, and the other by Shri R. P. Billimoria, Shri Mahesh Desai, Shri G. Ramanujam and Shri Satish Loomba.

3. After careful consideration of the two reports Government have taken the following action:—

(a) An Ordinance has been promulgated on 23rd September, 1972 to provide that:

(i) the statutory minimum of the bonus payable to workers covered by the Payment of Bonus Act is raised from 4 per cent to 8-1/3 per cent for the accounting year commencing on any day in the year 1971; and

(ii) payment be made in full in cash to all persons covered by the Payment of Bonus Act upto 8-1/3 per cent. Where payments more than 8-1/3 per cent are to be made during the said accounting year the positive i.e. plus difference, if any, between the payments to be made during the said accounting year and the payments made during the accounting year 1970-71 (where they were in excess of 8-1/3 per cent will be deposited into the provident fund account of the beneficiaries.

(b) Executive instructions have been issued to the effect that pending formal amendment of the Act, public sector establishment which are at present not required to pay bonus by virtue of the provisions in Section 20 of the Payment of Bonus Act should also make payments on the above basis in respect of the accounting year commencing on any day in the year 1971; and

(c) Government have requested the Central Organisations of Employers to consider advising their constituents not to insist on recoveries of advances made to the employees in terms of the formula popularly known as the Khadilkar Formula.

4. Copies of the Reports submitted by the Bonus Review Committee are being printed and will be made available for sale through the Manager of Publications in the usual manner.

#### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:—

(i) All State Governments and Union Territories.

(ii) All Ministries of the Government of India and Planning Commission.

(iii) All India Organisations of Employers and Workers.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazetted of India Extraordinary for general information.

N. P. DUBE, Addl. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1972

सं० ए० 33025/23/72-डब्ल्यू० बी०.—भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या यू-23018/1/72-डब्ल्यू० बी०, तारीख 28 अप्रैल, 1972 द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करने के लिए बोनस पुनरीक्षा समिति गठित की। समिति का गठन निम्न प्रकार है:—

डा० बी० के० मदान

अध्यक्ष

1. श्री एन० एस० भट्ट

सदस्य

2. श्री हरिश महिन्द्रा

3. श्री आर० पी० बिल्लीमोर्गिया
4. श्री जी० रामानुजम
5. श्री मनीश लूम्बा
6. श्री महेश देसाई
7. डा० एम० डी० पुनेकर,

2. समिति ने अधिनियम के अन्तर्गत देय न्यूनतम बोनस को बढ़ाने से सम्बन्धित विचारार्थ विषय पर अपने अन्तरिम निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। निष्कर्ष दो पृथक्-पृथक् रिपोर्टों में दिए गए हैं—एक पर अध्यक्ष, डा० एम० डी० पुनेकर, श्री एन० एम० भट्ट और श्री हरीश सहिन्द्रा ने और दूसरे पर श्री आर० पी० बिल्लीमोर्गिया, श्री महेश देसाई, श्री जी० रामानुजम और श्री मनीश लूम्बा ने हस्ताक्षर किए हैं।

3. उक्त दो रिपोर्टों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(क) 23 मिनम्बर, 1972 को एक अध्यादेश जारी करके निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

- (1) बोनस भुगतान अधिनियम, के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को देय मासिक न्यूनतम बोनस को 1971 वर्ष के किसी भी दिन से शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए 4 प्रतिशत से बढ़ाकर  $8\frac{1}{3}$  प्रतिशत किया गया है ; और
- (2) बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को  $8\frac{1}{3}$  प्रतिशत तक पूर्ण भुगतान तकद किया जाए। जहां उक्त लेखा वर्ष के दौरान  $8\frac{1}{3}$  प्रतिशत से अधिक भुगतान किए जाने हैं, वहां उक्त लेखा वर्ष के दौरान किए जाने वाले भुगतानों और लेखा वर्ष 1970-71 के दौरान किए गए भुगतानों के बीच का अन्तर, यदि कोई हो (जहां वे  $8\frac{1}{3}$  प्रतिशत से अधिक थे) (ब्राह्म अर्थात् अनिश्चित राशि) लाभ पाने वालों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाएगी।

(ख) इस आदेश के प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अधिनियम में औपचारिक संशोधन किए जाने तक, सरकारी क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठानों को भी जिनको इस समय बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार बोनस देना अपेक्षित नहीं है, वर्ष 1971 के किसी भी दिन से शुरू होने वाले लेखा वर्ष के सम्बन्ध में उक्त आधार पर भुगतान करना चाहिए। और

(ग) सरकार ने नियोजकों के केन्द्रीय संगठनों से अनुरोध किया है कि वे अपने घटकों को सलाह देने पर विचार करें कि वे “खाइल कर फार्मुला” के नाम से विख्यात फार्मुले के अनुसार कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियों की बसूनी पर जोर न दें।

4. बोनम पुनरीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की प्रतियाँ मुद्रित की जा रही हैं और उन्हें सामान्य रीति के अनुसार प्रकाशन प्रबन्ध के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

### आदेश

अदृश दिया जाता है कि इस सकलप की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए —

- (i) सभी राज्य सरकारें और सब प्रशासित क्षेत्र।
- (ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा योजना आयोग।
- (iii) मानिको तथा मजदूरों के अखिल भारतीय संगठन।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकलप को आम सूचना के लिए भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

नि० प्र० दुबे, अपर सचिव।